भारत सरकार

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

**राज्य सभा**

*अतारांकित प्रश्न संख्या 13.*

*22.11.2011*  को उत्तर के लिए

**' गोवा में बफर जोनों का निर्माण '**

**13. श्री शान्ताराम नायक :**

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोवा में वन्य जीवों, वनों अथवा पर्यावरण के संरक्षण हेतु कोई 'बफर जोन' बनाया है;

(ख) इन जोनों का विधिक दर्जा क्या है और इन जोनों को किस विधि और नियमों के अंतर्गत बनाया गया है;

(ग) ये जोन गोवा के कुल कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं;

(घ) इन जोनों को बनाने के बाद सामने आने वाले विधिक और अन्य परिणाम क्या होंगे; और

(ड.) क्या इन जोनों को बनाए जाने के बाद नियमों में शिथिलता की कोई संभावना, यदि कोई है?

**उत्तर**

**पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती जयंती नटराजन)**

**(क), (ख) और (ग)** पयार्वरण और वन मंत्रालय को गोवा में वन्य जीव , वनों या पर्यावरण के संरक्षण हेतु बफर जोन बनाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ है । तथापि, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत गोवा में राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आस-पास पारि-संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए मंत्रालय में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । पारि-संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा के लिए मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार से इस प्रस्ताव में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है । गोवा सरकार से इस मंत्रालय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(घ) और (ड.) अधिसूचित पारि-संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यकलाप इस क्षेत्र के लिए तैयार की गई प्रबंधन योजना के अनुसार संचालित होंगे ।

\*\*\*\*\*\*